[2013] 8 एस.सी.आर. 111

यशवंत सिंह और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2012 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 26824)

18 जुलाई, 2013

[अल्तमस कबीर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अनिल आर. दवे और

विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि - नियुक्ति - प्राथमिक शिक्षकों की - बिहार राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की रिक्तियों पर उन्हें नियुक्त करने के लिए बिहार राज्य को निर्देश देने हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका - बिहार राज्य की ओर से दिए गए एक वचन पत्र पर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली गई - बिहार राज्य अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में असफल रहा - अवमानना याचिका दायर की गई - इसे बिहार राज्य को पहले दिए गए वचन पत्र को लागू करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया - बिहार राज्य की ओर से पुनः चूक - एक और अवमानना याचिका - समान स्थिति वाले प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अवमानना याचिका में पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन किए गए - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किए गए - पात्र उम्मीदवारों की सूची के संबंध में विवाद - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जिनकी उपस्थिति में सूची तय की जा सके - उनके द्वारा प्रस्तुत सूची को स्वीकार कर लिया

गया और की गई सिफारिशों के अनुसार, बिहार राज्य के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 34,540 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया - हालाँकि, कुछ उम्मीदवार, जो उक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, अपने वाद के समर्थन में नए आवेदनों के साथ आए - अधिकांश आवेदक चयन सूची तैयार करने में किसी न किसी त्रुटि से व्यथित थे - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर आवेदनों, विशेष अनुमति याचिका और रिट याचिकाओं को वापस लिया गया मानने का निर्देश दिया गया, इस छूट के साथ कि पक्षकार राहत, यदि कोई हो, के लिए व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन बिना किसी भी तरह से उन शिक्षकों की नियुक्तियों को प्रभावित किए जो पहले से ही 34,540 रिक्त पदों पर नियुक्त हैं और काम कर रहे हैं - बिहार शिक्षा संहिता - अध्याय 6 और 7 - बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2003.

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : विशेष अनुमति याचिका संख्या 26824/2012

पटना उच्च न्यायालय के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 8551/2012 में दिनांक 14.05.2012 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 668, 669, 671, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, डी.वाई संख्या 96650, 102358, 102908, 107866/2011, 1117, 1251, 3372, 3363, 4307, 4775, 5820, 4785, 5802, 7277, 8002, 7861, 7860, 8223, 8232, 8025, 8709, 9296, 9291, 9610, 9582, 10029, 10303, 10783, 10777, 10773, 10772, 10817, 10822,

11173, 4069, 11080, 11355, 11872, 12010, 12009, 12012, 12523, 4473, 13535, 13533, 13883, 14230, 14529, 14902, 14901, 15677, 5602, 17890, 17893, 19256, 20919, 20920, 5727, 22003, 30504/2012, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22882/2004 में अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 297/2007 में अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 87/2013, रिट याचिका (दीवानी) संख्या 49/2013, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 5946/2013, रिट याचिका (दीवानी) संख्या 344/2012.

यू.यू. ललित, एल.एन. राव, पी.एच. पारेख, आर.पी. भट्ट, एल. नागेश्वर राव, एस.बी. सान्याल, एस.आर. सिंह, नागेंद्र राय, नीरज कुमार जैन, संतोष कुमार, मधुरेंद्र शर्मा (मुश्ताक अहमद के लिए), संतोष कुमार (मुश्ताक अहमद के लिए), वैंकिता सुब्रमण्यम टी.आर., मुश्ताक अहमद, कुमुद लता दास, विशाल प्रसाद, पी.एन. पुरी, निश्चल कुमार नीरज, जितेंद्र कुमार, संजीव कुमार, सी.पी. यादव, सैयद मो. रफ़ी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुभ्रो सान्याल, शवाना अरोड़ा, राकेश यू. उपाध्याय, रंजीत बी. राउत, नीरज शेखर, शिरीष के. देशपांडे, दिनेश कुमार तिवारी, एन.एन. झा, चंदन कुमार, वी.एस. मिश्रा, राघवेंद्र तिवारी, संतोष कुमार त्रिपाठी, मुकेश वर्मा, पवन कुमार शुक्ला, यशपाल ढींगरा, एस. चंद्रशेखर, डी.के. ठाकुर, देवेंद्र झा, देबाशीष मिश्रा, मनु शंकर मिश्रा, अंशुमान उपाध्याय, आर.डी. उपाध्याय, अमित कुमार, अतुल कुमार, आशीष कुमार, रेखा बख्शी, अविजीत मणि त्रिपाठी, ऋतुराज, निर्निमेष दुबे, इफ्तेखार अहमद, एम. कमरुद्दीन, अंबर कमरुद्दीन, अभिषेक, एम. कमरुद्दीन, एम.एम. सिंह, डी.के. सिन्हा, धर्मेंद्र किशोर, बिनय के. झा, बिपिन के. झा, अनिलेंद्र पांडे, वी. सुशांत गुप्ता, डॉ. कैलाश चंद, प्रभास कुमार यादव, पुष्पा मिश्रा, विजय प्रताप यादव, बांके बिहारी शर्मा, ब्रज किशोर मिश्रा, अपर्णा झा, सिद्धार्थ आर्य, संजय जैन, शांतनु सागर, स्मरहर सिंह, अभिषेक के. सिंह, गोपी रमन, राम शंकर दास, चंद्र प्रकाश, डॉ.

एस.के. वर्मा, आफताब अली खान, नितिन कुमार ठाकुर, राजेश कुमार बच्चन, बी.के. चौधरी, रविशंकर कुमार, अरुण कुमार, ई.सी. विद्यासागर, प्रेम प्रकाश, एम.पी. झा, राम शंकर सिंह, राम इकबाल रॉय, प्रणव कुमार झा, हर्षवर्धन झा, अमित किशोर सिन्हा, सुनील कुमार वर्मा, शाहिद अनवर, सुमित कुमार, शेखर कुमार, एस.के. त्रिपाठी, राजीव शंकर द्विवेदी, मनीष कुमार सरन, सत्य प्रकाश शरण, मनजीत पाठक, राजन के. चौरसिया, निर्मल कुमार अंबास्था, संजीव कुमार, सुधांशु पोल, वेंकटेश्वर राव अमोलोलू, प्रदीप मिश्रा, अमित सिब्बल, जफर आलम, गौरव डुडेजा, मो. इज़हार आलम, एम.पी. सिंह, हेतु अरोड़ा सेठी, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, सुष्मिता लाल, प्रणय रंजन, प्रणीत रंजन, पीयूष शर्मा, दिनेश सी. पांडे, ध्रुव के. झा, रवि सी. प्रकाश, के.के. जयपुरियार, बिजन घोष, पुरुषोत्तम एस.टी., फिल्ज़ा मूनिस, बृज भूषण, चंदन राममूर्ति, धर्म बीर राज वोहरा, के.एन. राय, लक्ष्मी रमन सिंह, मोहन पांडे, प्रेम सुंदर झा, एस.के. सभरवाल, एस.के. सिन्हा, श्री पाल सिंह, स्वयं (अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 439 में), रेवती राघवन, अनिल कुमार झा, बी.के. सतीजा, प्रशांत चौधरी, अनिल कुमार टांडेल, सुब्रमण्यम प्रसाद, अजय जैन, करुण मेहता, वरुण टंडन, नेहा अग्रवाल, विश्वजीत सिंह, अंबोज कुमार सिन्हा, शेखर प्रीत झा, अभिजीत सेनगुप्ता, रतन कुमार चौधरी, कन्हैया प्रियदर्शी, टी. महिपाल, अनिरुद्ध पी. मायी, पी.वी. योगेश्वरन, शशि भूषण कुमार, विष्णु शर्मा, गौरव अग्रवाल, प्रकाश कुमार सिंह, अमित पवन, श्रीधर पोटाजू, देवाशीष भरुका, मिलिंद कुमार, अभय कुमार, अरूप बनर्जी, अभिषेक अत्रे, अरुणा गुप्ता, राजीव शंकर द्विवेदी, मिथिलेश कुमार सिंह, मोहित कुमार शाह, संजय कुमार विसेन, जी.पी. सिंह, मनेंद्र दुबे, अभिषेक, शिरीष के. देशपांडे, विकास गिरी उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का आदेश

आदेश

अल्तमस कबीर, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया। 1. 2004 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22882-22888 कई प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बिहार राज्य को यह निर्देश देने के लिए दायर की गई थीं कि वह उन्हें बिहार राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर रिक्तियों में नियुक्त करे। इसे 18 जनवरी, 2006 को बिहार राज्य की ओर से दिए गए एक वचन पत्र पर वापस ले लिया गया था, जिसके द्वारा बिहार राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रशिक्षित शिक्षकों से भरने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। बिहार राज्य द्वारा दिया गया वचन पत्र इस प्रकार है:

> "कि इस बीच, यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जाए। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2003 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिए जाने के बाद, विकेंद्रीकृत तरीके से प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए नए भर्ती नियमों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आयु में छूट दी जाएगी।
>
> कि शिक्षकों की भर्ती करते समय, पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, बिहार शिक्षा संहिता के अध्याय 6 और 7, जो प्राच्य शिक्षा और छात्रावासों और भोजनालयों से संबंधित हैं, को ध्यान में रखा जाएगा।
>
> कि यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों से कम होने की उम्मीद है, उस सीमा तक चयन के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को संदर्भ भेजना आवश्यक नहीं हो सकता है, और इस

संबंध में इस माननीय न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया जा सकता है।"

2. विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के लिए किए गए आवेदन को इस न्यायालय द्वारा 23 जनवरी, 2006 को निस्तारित किया गया था। बाद में, जब बिहार राज्य अपनी प्रतिबद्धताओं और आश्वासनों का पालन करने में असफल रहा, तो याचिकाकर्ता, नंद किशोर ओझा ने 2006 की अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 207 दायर की, और इसे बिहार राज्य को पहले दिए गए वचन पत्र को लागू करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया, इस स्पष्ट बयान पर कि उक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. इसके बाद, बिहार राज्य की ओर से अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में और अधिक चूक के कारण, एक और अवमानना याचिका, जो 2007 की अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 297 थी, दायर की गई और समान स्थिति वाले प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कार्यवाही में पक्षकार बनाए जाने के लिए अवमानना याचिका में कई आवेदन किए गए। अंततः, विद्वान महान्यायवादी 25 अगस्त, 2009 को हमारे समक्ष उपस्थित हुए, और हमें आश्वासन दिया कि बिहार राज्य का इरादा अपनी ओर से दिए गए वचन पत्र से मुकरने का नहीं था। चूंकि बिहार राज्य में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हुआ था, स्थिति और अधिक जटिल हो गई थी और पूरे बिहार राज्य में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पद पर रिक्तियों को भरने में उत्पन्न समस्या का समाधान निकालना मुश्किल हो गया था। जब अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 297 को विचार के लिए लिया गया, तो हमने व्यक्तिगत शिकायतें रखने वाले कई शिक्षकों द्वारा दायर कई अंतर्वर्ती आवेदनों के साथ इस पर सुनवाई की और निर्णय सुरक्षित रख लिया।

4. दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 के हमारे आदेश द्वारा, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22882/2004 में दायर अवमानना याचिका पर, जो बिहार राज्य द्वारा 18 जनवरी, 2006 को दिए गए वचन पत्र के उल्लंघन और उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में 23 जनवरी, 2006 को उसके आधार पर पारित आदेश से उत्पन्न हुई थी, हमने यह निर्देश देते हुए आदेश पारित किए थे कि प्रशिक्षित शिक्षक जो एक समय रिक्त पदों की संख्या से कम थे, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्ति दी जानी चाहिए। हालाँकि, बाद में, समायोजित किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या के मुकाबले उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के बारे में कुछ विसंगति थी। तदनुसार, हमने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन से एक आंकड़ा अपनाया और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 34,540 मान ली। हमने आगे निर्देश दिया था कि उक्त रिक्तियों को 18 जनवरी, 2006 और 23 जनवरी, 2006 को दिए गए वचन पत्रों को प्रभावी बनाने के लिए एक बार के उपाय के रूप में उक्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों से भरा जाए।

5. बाद में, यह प्रकाश में आया कि उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से बहुत अधिक थी और कुछ उम्मीदवारों की पात्रता और उन कुछ संस्थानों की वास्तविकता के बारे में भी गंभीर संदेह उठाए गए थे जिनसे उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने का दावा किया था। 19 जनवरी, 2011 के हमारे आदेश में, हमने इंगित किया था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से बिहार राज्य द्वारा प्रस्तुत पात्र उम्मीदवारों की सूची के संबंध में कुछ विसंगतियां बताई गई थीं।

6. जब बिहार राज्य द्वारा प्रस्तुत सूची के आधार पर उक्त विवाद का समाधान नहीं हो सका, तो हमने एक तटस्थ व्यक्ति को कार्य सौंपना उचित समझा और, तदनुसार, हमने न्यायमूर्ति वी.ए. मोहता, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए, को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त

किया, जिनकी उपस्थिति में सूची तय की जा सके। हालाँकि, चूंकि न्यायमूर्ति मोहता ने जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की, हमारे दिनांक 24 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारा, न्यायमूर्ति वी.ए. मोहता को कार्यमुक्त करते हुए, हमने वरीयता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य करने और पूरा करने के लिए उनके स्थान पर पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.के. चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया। काफी बहस के बाद, न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत सूची को स्वीकार कर लिया गया और की गई सिफारिशों के अनुसार, बिहार राज्य के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 34,540 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।

7. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस तथ्य के कारण कि कुछ उम्मीदवार, जो न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, अपने वाद के समर्थन में नए आवेदनों के साथ आए और आग्रह किया कि अंतिम चयन सूची में विभिन्न चूक थीं, हमने उक्त आवेदनों पर विचार करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से उन निर्देशों के कारण, जो हमने अपने दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 के निर्णय और आदेश में दिए थे, कि कोई भी न्यायालय उन उम्मीदवारों की सूची के संबंध में किसी भी आपत्ति या आवेदन पर विचार नहीं करेगा, जिन्हें हमारे पिछले आदेश के अनुसार पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

8. इन आवेदनों, विशेष अनुमति याचिकाओं और रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, जो बात उभर कर सामने आई वह यह है कि अधिकांश आवेदक चयन सूची तैयार करने में किसी न किसी त्रुटि से व्यथित थे, जो उम्मीदवारों द्वारा न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति को अपने प्रासंगिक विवरण देने में असफलता के कारण हुई थी।

9. जैसी भी स्थिति हो, इस घटना में कि अंतिम चयन सूची में कुछ विसंगतियां आ गई थीं, व्यक्तिगत शिकायतों में विभिन्न विसंगतियां हैं, जिन्हें सुलझाना हमारे लिए मुश्किल है। तदनुसार, हम अपने दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 के आदेश को संशोधित करते हैं, और आवेदकों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देते हैं। हम यह भी निर्देश देते हैं कि हमारे समक्ष दायर आवेदनों, विशेष अनुमति याचिकाओं और रिट याचिकाओं को वापस लिया गया माना जाए, पक्षकारों को अनुतोष, यदि कोई हो, के लिए व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हुए, लेकिन बिना किसी भी तरह से उन शिक्षकों की नियुक्तियों को प्रभावित किए जो पहले से ही 34,540 रिक्त पदों पर नियुक्त हैं और सेवा दे रहे हैं। हमें सुनवाई के दौरान सूचित किया गया है कि 34,540 पदों में से लगभग 2413 पद अभी भी भरे जाने बाकी थे। इसलिए, सभी आवेदनों, विशेष अनुमति याचिकाओं और रिट याचिकाओं को उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में निस्तारित किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि 34,540 रिक्तियों में से नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन प्रश्नगत आवेदनों का निस्तारण करते समय शेष रिक्तियों को भरने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

बी.बी.बी. विशेष अनुमति याचिका और रिट याचिकाएं निस्तारित की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।